

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

इब्रार अहमद खॉं (मा०प्र०से०)
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-.....

विषय:- बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत 12 (बारह) अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हेतु वर्ग-9वीं से 12वीं (कला एवं विज्ञान संकाय) के विषयवार पुस्तकों के भुगतान हेतु विस्तृत शीर्ष/विषयशीर्ष 21-01 (सामग्री एवं पूर्तियाँ) मद में ₹48,28,698/- (अड़तालीस लाख अठ्ठाइस हजार छः सौ अन्धानवे रुपये) मात्र की राशि की निकासी एवं व्ययन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन लि०, पटना के पत्रांक-805, दिनांक 31.08.2026 के द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत 12 (बारह) अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हेतु वर्ग-9वीं से 12वीं (कला एवं विज्ञान संकाय) के विषयवार पुस्तकों पर व्यय राशि ₹48,28,698/- (अड़तालीस लाख अठ्ठाइस हजार छः सौ अन्धानवे रुपये) मात्र भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-30, बजट मुख्य शीर्ष 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-04 अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष 277-शिक्षा, उप शीर्ष-0001-आवासीय विद्यालय, (विपत्र कोड 30-2225042770001) विस्तृत शीर्ष-21-01 "सामग्री एवं पूर्तियाँ" के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- इस राशि की निकासी प्रपत्र BTC Form-25 के माध्यम से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी। उक्त राशि की निकासी कर बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन लि०, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये खाता विवरणी- Bihar State Text Book Publishing Corporation Ltd, Patna के INDIAN BANK, Branch name- Budh Marg, Patna, S.B A/C No. -984967603, IFSC CODE-IDIB000B114 में अंतरित की जायेगी। उक्त स्वीकृत राशि के अंतरण के पश्चात् भुगतान संबंधी प्रतिवेदन UTR सहित प्रशाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- इस योजनान्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक-4989/वि०(2), दिनांक-16.05.2013 की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित विपत्र में अपेक्षित होगा।
- वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि० दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
- इस राशि की निकासी CFMS के माध्यम से की जायेगी।
- राशि का व्यय एवं निकासी वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित अद्यतन परिपत्र के आलोक में किया जायेगा।
- प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार का परामर्श एवं सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- अ०स०क०-02-ग-आ०वि०-10/2024.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-.....

ह०/-

ज्ञापांक:- अ०स०क०-02-ग-आ०वि०-10/2024.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
पटना, दिनांक-.....

ह०/-

ज्ञापांक:- अ०स०क०-02-ग-आ०वि०-10/2024.....

प्रतिलिपि:- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
पटना, दिनांक-.....

ह०/-

ज्ञापांक:- अ०स०क०-02-ग-आ०वि०-10/2024.....

प्रतिलिपि:- मु०ले०पदा०-सह-वित्तीय सलाहकार, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

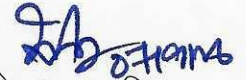
सरकार के अपर सचिव
पटना, दिनांक-.....

ह०/-

ज्ञापांक:- अ०स०क०-02-ग-आ०वि०-10/2024.....

प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
पटना, दिनांक-07/09/24



सरकार के अपर सचिव